विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 09/Exam/School Lect.(Agriculture)/RPSC/EP-I/2025-26 दिनांक : 28.08.2025

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित–भूति (स्थायी रिक्तियों) के मुख्य 300 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद संख्या में तथा कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। पदों का कार्यभार कार्यालय पूर्णतया से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

नोट :–

1. सामाजिक (क्षै–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2023 के अनुसार किसी पद विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों व, जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामाजिक (क्षै–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.02.2023 के अनुसार किसी पद विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और जनजातियों अति पिछड़े वर्गों के पद क्रमशः जनसंख्या अनुपात आधारित न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पदानुक्रमी तीन भर्ती वर्षों के लिए आगामी किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात पदों आरक्षण की यह रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी अथवा यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष का इस गणना के प्रयोजन के लिए गणना नहीं किया जायेगा अथवा यह भी कि इस पद–विशेष के सापेक्ष सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भर जाना तथा आरक्षित रोस्टर के अनुसार पदों के आवंटन की अपेक्षा नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर अनुसूचित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और जनजातियों अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों से ही भर कर अग्रेषित किया जाएगा जिसके लिए पूर्वी रिक्ति समायोजनी वर्ष में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर जाएगा।
3. किसी पद विशेष में या तो विषय या विशिष्ट विषय/परिपाटी/समानुपात महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों का प्रयोग अन्य–परिवर्तन द्वारा, अन्यों रिक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का विषय/परिपाटी/समानुपात महिलाओं में या **इसके विपरीत (Vice Versa)** के लिए **आरक्षित रिक्तियों** में किया जा सकेगा। यथापि यदि वे विषय और विशिष्ट विषय/परिपाटी/समानुपात अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न कोई भी रिक्तियां उसी वर्ष की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और यह तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पदानुक्रमी वर्ष के लिए आगामी नहीं की जायेगी। रिक्तियों और विशिष्ट विषय/परिपाटी/समानुपात महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आवेदन का प्रपत्र में भौतिक रैखिक अवलोकन नहीं पाया जाता अर्थात पदों की सामान्य योग्यता में समायोजित महिलाओं को भी जहाँ महिला उपयुक्त के लिए आरक्षित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यता/निशक्तजन के लिए चिह्नित पद पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Category-wise Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिक्तियों की संख्या संबंध अगले भर्ती वर्ष में समायोजित की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार यदि किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त दिव्यांग निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं भरी जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अदलनीय और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त दिव्यांग निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उस प्रकरण निशक्तजन की रिक्तियां विनिमय (Interchange) कर भर जायेगी। यदि एक वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो निशक्तजन वाले रिक्ति को दिव्यांगजन के अनुसार अन्य श्रेणि के भर जायेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का अन्य उपयुक्त रूप से भरा जाना नियमानुसार की शर्त है। अन्य पात्र के अभ्यर्थियों को उनका लाभ देय नहीं होने के कारण उनके समान वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण लाभ देना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला को विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी मान लिया जाता है तो उसे public employment में पत्नी/पुत्री/बहिन/भतीजी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उक्त मामलात वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित नहीं करना होगा।
8. आर्थिक नियम की अधिसूचना दिनांक 10.03.2019 एवं 21.11.2019 के अनुसार की अनुसूचित जातियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

टिप्पणी– किसी सामान्य वर्ग के एक पात्र के अनुपलब्ध संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी पद आरक्षित होने की स्थिति में भी लागू होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :

(1) Four years Bachelor's degree in Agriculture/Horticulture recognized by the UGC and Post Graduate in relevant subject of Agriculture/Horticulture recognized by the UGC and Bachelor of Education (B.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devanagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुपस्थिति किसी भी अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र को अस्वीकृत (Withdraw) करने का विवरण उपलब्ध होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी पत्र प्रस्वीकृत (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में प्रारंभ/भर्ती प्रक्रिया/भर्ती प्रक्रियान्तर के दौरान अपराध पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती प्रक्रियाओं से निर्वर्जित (Debar) किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आवेदन हेतु आवश्यक प्रारम्भिक परीक्षा के पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का संकल्प देना होगा।
वेतन का स्तर ६–वेतन	6–वेतनमान लेवल L-12 (Grade Pay -4800) (नोट :– उक्त संवर्ग के नियमानुसार अभ्यर्थियों को नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :– उक्त पद आवेदन हेतु पूर्व में वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना की आधार 01.01.2022 माना गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उनके नियमों में निहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

निम्नांकित पदों के अनुरूप पदोंत्ति पाने अभ्यर्थियों पदों हेतु विशिष्ट भर्ती/अन्य विशिष्ट योग्यता हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्रमांक	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विवाह विच्छेद (तलाकशुदा) महिला **Explanation :–** In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	पदोन्नति उपरान्त आयु सीमा उस भूतपूर्व सैनिक के मामले में लागू नहीं होगी जो दण्डादिष्ट के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका हो और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उक्त भूतपूर्व सैनिक के मामले में जो सजायाफ्ता दण्डादिष्ट के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरोक्तित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुगता कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	सैनिक इन्स्ट्रक्टरों के मामले में उक्त ही आयु की छूट होगी जिसमें सेवा कमांडेंट एन.सी.सी. ने की होगी बशर्ते अधिकतम आयु अधिकतम आयु सीमा से 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उसे निर्धारित आयु सीमा में ही समायोजित किया। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors.	

	If the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
8	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्यालय में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
9	निवृत्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निवृत्त होने के पश्चात आयु सीमा के भी समाप्त जाएगा यदि उन्होंने कमीशन के समय निर्धारित सीमा के भीतर आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन प्राप्त करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
10	इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा भले वे आयोग के समक्ष अंतिम चयनकर्ता के समय उम्र पार कर चुके हों और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.
11	राजस्थान सिविल सेवा (पूर्वसैनिकों का अवशोषण) नियम, 1998 के अनुसार पूर्वसैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। परन्तु इस नियम के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुमेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उनकी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उम्र आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1998, relaxation in upper age limit shall be ten years for Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :– कार्मिक (क–5) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.6.2018 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पूर्वसैनिकों का अवशोषण) नियम, 1998 यथासंशोधित प्रावधानों के तहत हुए भी किसी भर्ती में स्थापित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य सेवा योजनों/अभ्यर्थियों को देय है, वह पूर्वसैनिक को भी देय होगी अर्थात् यदि शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के बाद किसी पद में 10 वर्ष की शिथिलता प्रावधान है, उसका लाभ पूर्वसैनिकों को मिलेगा।
12	राजस्थान निःशक्तजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.

नोट – विभिन्न भर्ती/अन्य विशिष्ट योजनाओं हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें राजस्थान सिविल सेवा में अधिकतम आयु सीमा में 50/55 की आयु सीमा में छूट दी गई हो स्पष्ट की जिनमें भर्ती जानी।

नोट –

1. प्रावधान सीमित आयु सीमा में छूट के लिए संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान अनन्य (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को प्रावधान सीमित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. पदोन्नति हेतु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार अन्य आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात् हेतु संख्या 12 में वर्णित प्रावधान के अनुसार विकल्प पात्रता के अनुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
3. कार्मिक (क–5) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.6.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी भर्ती के लिए आवेदन पत्रों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य नियमन (जैसे- आयुर्वेद, डेंटल, फिजियोथेरेपिस्ट आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति नियमित नहीं किया जायेगा।
4. राजस्थान देय नियम के अनुसार कार्यरत अभ्यर्थी हेतु पदोन्नति की आयु 45 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. अन्य विशिष्ट योग्यताओं हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विभिन्न मत की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों पहले का अंकों द्वारा उपलब्धता/आरक्षण के अनुपात में सामान्य/पीएचएच/ईएसएम (सामान्यीकरण) पद्धति की अपनाकर की जायेगी। संशोधित सेवा नियम के नियम 26 के अनुसार आयोग द्वारा समयानुसार चयन पर अभ्यर्थियों के नाम चयन आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाने की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट (Merit) के क्रम में प्रकाशित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में पश्चात्वर्ती सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 26 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा अभ्यर्थियों को ये ही जानेगी जिसके लिये प्रार्थना स्वीकृत प्रकाश के होंगे।
आवेदन अवधि	दिनांक 14.09.2026 से दिनांक 04.10.2026 रात्रि 12–00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. पात्र पद हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थियों आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants) विस्तृत विज्ञापन एवं नियम का अवलोकन अवश्य कर ले कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा। यदि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संशोधित नहीं होता तो उस विज्ञापन में उल्लिखित प्रावधान ही लागू होंगे। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link की Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in में Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रिंट कर One Time Registration (OTR) करने हेतु आवश्यकता के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षणिक/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इत्मीनान एवं डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in में Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें। 4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में नाम के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षणिक/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सामंजस्य/मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें। Note: ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा नाम का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग की जाँच/परख कर लें क्योंकि One Time Registration में सुधार करना अथवा नया लेना नहीं पायेंगे। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष का पुरानी अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में नवीनतम प्रोफाईल फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा अवधि के समय प्रवेश–पत्र में दिए फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा। 5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी वास्तविक फोटो अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता की सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें। 6. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय इत्मीनान एवं सोच समझ कर ही अपूर्ण विवरणी की सही फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के पश्चात परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर चुकाए गए फोटो से मिलान किया जायेगा। 7. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान की विभिन्न स्थिति फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु अलग लेना करें। 8. अभ्यर्थियों को सुनिश्चित की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में सुनिश्चित स्थानों विवरण का अभिलेखों का ही प्रयोग करना होगा। यदि विवरण का चयन नहीं किये जाने पर सुनिश्चित की सुविधा देय नहीं होगी। 9. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अंकित की गई सूची सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। 10. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित का प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।

11. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आवेदन अभ्यर्थी पर विभाग अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के बिना शर्तों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
14. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट अवश्यमेव साथ में निकाल लें।
15. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट पर Exam Dashboard का लगन-लगन पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किये जाते है।
16. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त प्रतिलिपिगुमार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **OTR Profile** में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अंकित करना आवश्यक है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के दौरान निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर अधिकतम 03 बार Online संशोधन (प्रावधान की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा एवं देरी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा उक्त अंकित परीक्षा आवेदन की तिथि के 60 दिवस पूर्व 01 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने पता, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
   Note: लिखित विषय/राजभाषा/परीक्षण संबंधित ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा मांगे गिलिकल विषय (DV) किसी जारी होने की स्थिति में ही वर्ष परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा न्यायालय मामले में ऑनलाईन संशोधन के माध्यमों का उपयोग कर सकेगी।
3. **One Time Registration (OTR)** जारी किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को इस एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं लिए गए संशोधन की सूचि ओटीआर के माध्यम से भी जारी की जायेगी।
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- अलग निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से चाही प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व इस एतदर्थ प्रक्रिया से उत्पन्न कोई भी ऑनलाईन/ऑफलाईन परिणाम अभ्यर्थी हेतु आयोग द्वारा न्यायालय मामले में ऑनलाईन संशोधन के माध्यमों का उपयोग कर सकेगी।

एकमुश्त पंजीयन शुल्क :- आयोग के दिनांक 19.04.2023 के द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं में एकमुश्त पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी — रूपये 500/-
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी — रूपये 400/-
3. दिव्यांगजन — रूपये 400/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य के बिना शर्त वाले अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित एकमुश्त शुल्क देना होगा।
2. आर्थिक (क्र-2) विषय के तथा अंतिम दिनांक 19.04.2023 से पूर्व जिन अभ्यर्थियों द्वारा वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी भी एकमुश्त आयोग द्वारा वन टाईम रजिस्ट्रेशन के अभाव में तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकमुश्त पंजीयन शुल्क जमा करेंगे।

एकमुश्त पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक (क्र-2) विषय द्वारा परिपत्र दिनांक 09.05.2023 जारी किया गया है जिसकी निम्नलिखित शर्तें लागू/अवलोकनीय होंगी:-

(i) कोई अभ्यर्थी आयोग/कोई न अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक निर्धारित वर्ष (दिनांक 01 अप्रेल से 31 मार्च) में आयोजित छः भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 250/- रूपये का भुगतान करने के पश्चात ही एकमुश्त पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
(iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अभ्यर्थी उसी निर्धारित वर्ष में छः और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।
(iv) पुनः प्रतिबंधित O.T.R. को अभ्यर्थी के द्वारा राशि रूपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात ही अनब्लॉक सुविधा पुनः चालू की जायेगी।

टिप्पणी-यदि कोई आवेदक किसी कारणवश से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने की स्थिति में उसे उस परीक्षा में ओटीआर प्रतिबंधित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्रिब्ज सम्बन्ध उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी चुने जाने तथा श्रुतलेखक सुविधा (Scribe) का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दिव्यांगता का सक्षम चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक के पांचवी पास होने के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि कॅन्सलीयर को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/कॅन्सलीयर से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का सक्षम चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र कॅन्सलीयर को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) में यथा परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की श्रेणियाँ (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता-Both Arms) एवं Dwarf बाधाओं वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक के पांचवी पास होने के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि कॅन्सलीयर को प्रस्तुत करना होगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) में यथा परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के अभ्यर्थी लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में चुना चिकित्सा एवं सामाजिक अधिकारिता/चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (Proof) की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-(1) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या अतिरिक्त समय प्राप्त करने के लिए परीक्षा दिनांक के कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर 'Candidate Information> Important Downloads> Instructions to availing services of Scribe' से अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of School Lecturer (Agriculture)

(1) The examination shall carry 450 marks.
(2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and Paper II shall be of 300 marks. Duration of Paper I shall be One and a Half hours and the duration of Paper II shall be Three hours.
(3) All the questions in both Papers shall be Multiple Choice Type questions.
(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण) नियम, 2000 तथा राजस्थान सिविल सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति) अधिनियम, 2011 में विहित प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक में 5% छूट/रियायत दी जायेगी।

(6) Subjects included in both the papers are shown in the table below

PAPER – I General Studies **Duration: 1 Hour and 30 minutes**

	SUBJECTS
1.	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement
2.	Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test :- Hindi, English
3.	Current affairs
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan
5.	Educational Psychology, Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

PAPER – II Subject Concerned **Duration: 3 Hours**

	SUBJECTS
1.	Knowledge of Subject Concerned: Senior Secondary Level
2.	Knowledge of Subject Concerned: Graduation Level
3.	Knowledge of Subject Concerned: Post Graduation Level
4.	Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning

उत्तर पत्र हेतु आवश्यक की जाने वाली परीक्षा के लिए अनुदेश, उत्तरपत्र में भरने के विषय में दिए गये हैं गुणा के निर्देश निम्नवत :-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. आपकी Online Application Form में अंकित कोई मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी, अंकित करने किसी पर यह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से भेजकर दिए अभ्यर्थियों आवेदन के अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी, बदलने/कार्य होने/नेटवर्क उपलब्ध होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. अभ्यर्थी पंजीकरण मोबाईल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को देवें।
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वयमपूर्ण भरें। अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit करने से पूर्व पहली स्क्रीन प्रतिलिपि में आवेदक को दिये गये प्रतिलिपि सही-सही भरी गई है। अंतिम हुआ आवेदन में भरी गई प्रतिलिपि को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि/गलत प्रविष्टि/मूलभूत त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। हालांकि आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Preview में अपनी जाति/वर्ग, श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), शिक्षा योग्यता इत्यादि संबंधी सभी प्रविष्टियों की भलि भांति जांच कर ले करने के पश्चात त्रुटि होने पर उसे सुधारने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit कर लेने उपरान्त प्रिंट लेकर अभ्यर्थी ऑन आवेदन पत्र के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें। बाद में फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन अवसर एक ही बार देंगे। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। यहां पर आवेदक को यह भी विनम्रता से अवगत कराया जाता है कि आवेदन प्रपत्र ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाते है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाते हैं, ई मित्र अथवा अन्य स्रोत के माध्यम से प्राप्त कि पावती द्वारा आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/करेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना को जाने पर आवेदक अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिणाम मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की पूर्वानुमति निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। यह श्रेणी में आवेदन भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/राजपूत विमुक्ति/घुमन्तू जाति/अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति/अति विमुक्त जाति

12. विधिवत विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अकेला विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी अंकित करने पर उसे वर्ग/श्रेणी सत्यापन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक उम्र का हेतु तभी आवेदन करें जब वह उम्र का हेतु विज्ञापन में निर्धारित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में अंकित अनुभव शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

14. आवेदक को दिए विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई रियायत आयु एवं अतिरिक्त आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

15. प्रतियोगियों को ई-आवेदन-पत्र पर उपलब्धित विकल्प दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. शीट/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों का भाषा में लगाये हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. शीट/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी को अंतिम उत्तर मानते हुए जारी परिणाम को अभ्यर्थियों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अविलम्ब पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षार्थी ने परीक्षा सामग्री/प्रश्नपत्र/परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि/गड़बड़ होने पर लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा परिसर में व्यवधान/हंगामा करना/धरना का प्रयास करना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देने हेतु प्रेरित करना/मुकाबला का प्रयास करने पर संबंधित अभ्यर्थी के लिए इस परीक्षा को निरस्त करते हुए उसे आयोग विवाद करने संबंधित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम की अनुशंसा) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आवेदन/मय प्रवेश केन्द्र अथवा/अन्य भर्ती प्रक्रियाओं की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अपात्र आचरण के लिए दोषी पाये जाने पर परीक्षार्थी/अभ्यर्थी आदि के विरुद्ध (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/भर्ती में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

20. पात्रता कार्यवाही को देय शुल्क अथवा अनुपस्थिति में छूट, आवास इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी आवेदन अस्वीकार ही माने जायेंगे, उन्हें उपरांत लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कमजोर किसान/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विकलांग शिक्षक/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा/अनाथ/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/संविदाकर्मी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उपयोगी प्रमाण की जाँच में उपयोगिता सही पाया गया हो। अतः आयोग की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा :-

1. कार्मिक (ए-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग* के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारण से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की घोषणा मानता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

   * Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी योग्यता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इसका परिणाम का लाभ देय नहीं होगा।

2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के गोत्र, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विवाह आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के गोत्र, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना अनिवार्य एवं अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र अधिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2014 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के गोत्र व निवास स्थान के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विवाह आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के गोत्र व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) सम्बन्धी एवं उसकी पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, यह प्रमाण पत्र मान्य का मूल निवासी होना चाहिये।

   Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा उक्त सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (केवल जन्म तिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिकुलेशन परीक्षा प्रमाण-पत्र), उपलब्ध किसानी (आवेदन की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें दिव्यांगता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, संविदाकर्मी, विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत/अंकित होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से किसी प्रमाण पत्र (जैसे – विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बैंक का पास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी प्रावेदन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/ विधिवत विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 22/2012 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/ विधिवत विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

   *नोट:- निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 से पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र (U.D.I.D./स्थायीकरण नोटिस के जारी किये हुये) ही मान्य होंगे।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – कार्मिक (ए-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी नियत अवधि करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आपसी रजा वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है एवं उसने स्वेच्छा प्रतिभूतियों के निवारण पश्चात्त प्राप्त कर लिया है, एवं वह जिस आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पश्चात्त के पूर्व उसे अनुसूचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निर्धारित प्रमाण पत्र (R.O.E.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और चयनोपरांत सेवानिवृत्ति से पूर्व कार्यमुक्त हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त कार्यवाही कर विधिवत कार्य आवंटन और उसे उपयुक्त सेवानिवृत्ति के दो माह की अवधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुशंसा किया जायेगा। कार्मिक (ए-4/5) विभाग के पत्र दिनांक 08.07.2021 के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने की पश्चात् सेवानिवृत्ति के दिनांक का इन्फ्रीडिस्टन्स के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। इस की यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आवेदन का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी अवधि की एक सिविल कर्मचारी मान्य जायेगा, परन्तु शर्त यही की पदों में उच्च किसी भी पदों में 24 के लिए, किसी निजाम पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक की अवधि इस कारण से कि 24 कर्मचारी तथा में किसी निजाम पद, जिसका अनुभव उम्मीदवार का पद सेवी नहीं के लिए अपेक्षित है, न निर्धारित है, भूतपूर्व सैनिक अपने के आवेदन के निर्धारित नहीं किया जायेगा। परन्तु एक और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी निजाम के ग्रहण करने के पूर्व, निर्धारित पदों के लिए आवेदन करता है और चयनित निर्धारक की, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने के पूर्व, विधिवत पद किसी विधिवत आवेदन किया है, वे लिए आवेदन की प्रास्थिति-अवधि अवधि के बारे में कोई ग्रहण परिणाम पत्र/दस्तावेज देता है तो उसे पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ग भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के आधार पर निर्धारित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियमित/संविदा/अस्थायी/पदों आदि पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के आधार पर नियोजित नहीं किया जायेगा। कार्मिक (ए-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण) नियम, 1958 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।

9. शासन के परिपत्र क्रमांक F.6(18)FR-15/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। राजकर्मचारी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं लाने प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. ऐसा कोई भी कर्मचारी, जिसकी 01.08.2002 को या उसके पश्चात् भर्ती की है अथवा हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु जो दो अथवा अधिक बच्चे/संतान वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति की तिथि तक जिसे नहीं समझा जायेगा, जब तक कि : 1 जून, 2020 को विद्यमान पहले बच्चे/संतानों की संख्या में बदल नहीं होती, परन्तु यह अति कि जहां किसी आवेदक के पुनर्वार बच्चे के जन्म एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती जन्म से एक या अधिक बच्चे/संतान पैदा होती है, यदि बच्चा/संतानों की कुल संख्या को नियमित करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों की देय संख्या समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक

[illegible] की कुल संख्या को ध्यान रखते हुए अन्य एवं [illegible] की, जो पूर्वतन प्रथा से चली आई है और निरापदा है, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है या किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस आयोग के अधीन नियुक्ति के लिए निर्वाचित नहीं है तो उसे निर्वाचित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व [illegible] द्वारा किसी स्थान पर [illegible] हो। किन्तु यह कि इस नियम के अभाव किसी विधवा एवं विभिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा।) अभ्यर्थी अपना-पत्र पत्र समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विभिन्न विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक एवं एक विवाह महिला की आवेदन की अंतिम तिथि तक अपना विवाह के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसी वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक योग्यता का मार्क प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रस्तुत करने आवश्यक होगा जिसमें मार्क के सम्बन्ध में मान से कम "अंकों" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को अन्य प्रमाणपत्र आवश्यकतानुसार पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिसका राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/रुकावट उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में संलिप्त होने या प्रकरण/मामले चालित मामले के विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य होगा।

15. आवेदक को मान्य प्रमाणपत्र जारी प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित जाति सम्बन्धी निर्धारित प्रमाण-पत्र तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिन आवेदक मूलनिवास के स्थान से एक साथ सेवा की जिए पूर्वतः उपयुक्त है।

16. आवेदक को पहले से ही सरकारी सेवा तथा संस्थान/शासन/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन तथा नहीं हेतु नहीं में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा रोका प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में अंतिम सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा जारी पेजवाइज पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिगत/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ही उपनिष्ठ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से मूल में किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना की जांच की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में विभिन्न पद हेतु समय स्थिति समानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अतः किन्हीं आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं तत्पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आयोग का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आंशिक/पूर्ण/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करने के बाद ही एवं इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई निर्देश/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की फोन से दिया सहायता फेक्स का माध्यम सूचना दू. – 0145-2635212 एवं 2635300 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(रामनिवास मेहता)
सचिव

क्रमांक: F. 8A (08)Exam/Scle. Lect.(Agriculture)/RPSC/EP-1/2025-26/53 दिनांक: 28.08.2025

प्रतिलिपि– निदेशक, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पत्रांक पत्र क्रमांक निदेश/ग/स्थापना/सी-5/भर्ति/RPSC/भर्ती भर्ती/2025/25-[illegible] दिनांक 13.08.2025 की क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त सचिव